हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015/30 श्रावण,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **शोकोद्गार:**

डॉ0 ए 0पी0जे0 अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, श्री ज्ञान सिंह नेगी एवं श्री बज़ीर चन्द, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, शुक्रवार, 21 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

4. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11);

2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 12);

3. शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 22);

4. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 21);

5. हि0प्र0 अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 19);

6. हि0प्र0 मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 13);

7. हि0प्र0 सहकारी सोसा इटी (संशोधन) विधेयक 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 20);

8. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), 2015 का अधिनियम संख्यांक 14);

9. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन), 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15);

10. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 17);

11. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 18);

12. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 16); और

13. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 23) ।

5. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित): और

(2) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा (एअरो स्पोर्टस) संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या:-टी0एस0एम0-एफ(6)-3/2001-II दिनांक 21.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.07.2015 को प्रकाशित ।

6. अध्यादेश :

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 24.06.2015 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे ।

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री रविन्द्र सिंह, जिला कांगड़ा के गांव मानगढ़ (देहरा) के श्री अरूण शर्मा, पर्वतारोही (Trekker) की मृत्यु उपरान्त पहाड़ियों से शव निकालने में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री महेन्द्र सिंह
श्री महेश्वर सिंह
श्री कर्ण सिंह
श्रीमती सरवीन चौधरी

} प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा व बादल फटने से हुई क्षति बारे यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004
दिनांक: 20 अगस्त, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)